झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

<u>किमिनल रिभीजन सं0–05 वर्ष 2020</u>

रोहित कर्मकार उर्फ रोहित कुमार .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

उपस्थित : **<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ कु0 गुप्ता</u>**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री जे0एन0 उपाध्याय, अधिवक्ता।

विपक्षी पार्टी के लिए :– श्री रंजीत कुमार, ए0पी0पी0।

<u>03/दिनांकः 15वीं जून, 2020</u>

1. यह पुनरीक्षण, आपराधिक विविध वाद संख्या 42/2019 में पारित दिनांक 05.12. 2019 के आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश–II, सरायकेला ने विधि विरोधी याचिकाकर्त्ता–किशोर की जमानत के प्रार्थना को खारिज कर दिया है।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए0पी0पी0 को सुनने के बाद और आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप यह है कि याचिकाकर्त्ता ने 60,000/– रूपये की एक सुनहरी चेन छीन ली थी और मोटरसाईकिल पर भाग गया था।

यह देखते हुए कि याचिकाकर्त्ता/किशोर एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में हैं, तद्नुसार, उसे आर0आई0टी0 थाना काण्ड संख्या 45/2019 के संबंध में प्रधान

दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, सरायकेला के संतुष्टि के प्रति समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/– (दस हजार) रूपयों का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त पर कि जमानतदारों में से एक उसका प्राकृतिक संरक्षक/करीबी रिश्तेदार होंगे, जो वचन देंगेः–

(i) याचिकाकर्त्ता के अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए, (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किशोर याचिकाकर्त्ता किसी असामाजिक तत्व के संपर्क में नहीं आता है, और (iii) जब भी बोर्ड द्वारा निर्देशित होने पर किशोर/याचिकाकर्त्ता को प्रोबेशन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। प्रोबेशन अधिकारी आवश्यक कार्रवाई के लिए पर्यवेक्षण रिपोर्ट बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।

किसी भी प्रतिकूल रिपोर्ट के मामले में बोर्ड याचिकाकर्त्ता/किशोर की जमानत रद्द करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्त्ता/किशोर जांच के समापन तक बोर्ड को सहयोग करेंगे और उसके समक्ष उपस्थित होंगे, जब भी उनको निर्देश दिया जाएगा।

3. पूर्वोक्त निर्देशों के साथ पुनरीक्षण को यहाँ अनुज्ञात किया जाता है।

(अमिताभ कु0 गुप्ता, न्याया0)